"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2002—कार्तिक 7, शक 1924

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 878/843/2002/स.क./26 (2).—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(दो) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दिये जायें. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जायें.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को शामिल करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश पंचायत एवं समाज कल्याण सेवा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1990.
2.	मध्यप्रदेश पंचायत एवं समाज कल्याण तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1998.
3.	मध्यप्रदेश पंचायत एवं समाज कल्याण तृतीय श्रेणी (कार्यपालन) सेवा भरती नियम, 1967.
4.	मध्यप्रदेश पंचायत एवं समाज कल्याण चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1966.

Raipur, the 29th October 2002

NOTIFICATION

No. 878//843/2002/S.W./26 (2) .—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation Order, 2002.

(ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of the Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification and in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws. (2)
1.	M. P. Panchayat & Social Welfare Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1998.
2.	M. P. Panchayat & Social Welfare Class-III (Ministerial) Service Recruitment Rules, 1998.

(1)	(2)
3.	M. P. Panchayat & Social Welfare Class-III (Executive) Service Recruitment Rules, 1967.
4.	M. P. Class-IV Panchayat & Social Welfare Service Recruitment Rules, 1966.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.